न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :– महेश चन्द्र मान *आर. ए. एस.*

प्रा0 पत्र	तारीख रजू	तारीख निर्णय
3/14/19	25.06.2019	16.08.2019

उनवान

1. श्रीमती चन्द्रकला पुत्री स्व0 श्री लोकूराम, निवासी हिन्दू पाडा, सनातन धर्म मन्दिर के पास, अलवर।
2. शकुन्तला देवी पुत्री लोकूराम जाति खत्री निवासी मो0 चकला गूंदी, अलवर हाल निवासी विवेकानान्द नगर, पन्ना बाबा का कुआं, अलवर। जर्ये मुखत्यार आम सानन्दी पुत्री श्री नारायण दास छाबडा, निवासी पीएनबी कॉलोनी, सलारपुर रोड, कुरूक्षेत्र (हरियाणा)

............................प्रार्थिनी

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार साहब रामगढ ।

........................अप्रार्थी

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट)

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र का विवरण संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर 521 रकबा 0.97, 1108 रकबा 0.01, 1206 रकबा 0.13 हैक्ट0 वाके ग्राम बहाला तहसील रामगढ़ जिला अलवर में स्थित आराजी प्रार्थना पत्र में विवादित है। उक्त आराजी की पैमाईश अप्रार्थी तहसीलदार साहब, रामगढ के आदेशानुसार दिनांक 10.06.2019 को की गई थी। जिसकी प्रति संलग्न है। प्रार्थीगण उकत आराजी के रिकॉर्डेड काबिज खातेदार है जिसकी ताईद में जमाबन्दी संलग्न है। प्रार्थीगण उक्त आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थिनी स्वीकार फरमाया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 521 रकबा 0.97, 1108 रकबा 0.01, 1206 रकबा 0.13 हैक्ट0 वाके ग्राम बहाला तहसील रामगढ़ जिला अलवर की पत्थरगढी कराये जाने की आज्ञा सादिर फरमाई जावे।

प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) की ओर से न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी हाल ख0 नं0 521, 1108, 1206 किता 3 रकबा 1.11 हैक्ट0

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

वाके ग्राम बहाला के पडौसी खातेदारान को पार्टी नही बनाया है जो अतिआवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सम्वंत 2073–76 , मौका पर्चा दिनांक 10.06. 2019 की प्रमाणित प्रति तथा मुख्त्यारनामा आम की छायाप्रति पेश की।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात साक्ष्य का अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य नकल जमाबन्दी सम्वत 2073–76 एवं दिनांक 10.06.2019 का मौका पर्चा के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रार्थी के ख0 नं0 521, 1108, 1206 किता 3 रकबा 1.11 हैक्ट0 वाके ग्राम बहाला का सीमाज्ञान दिनांक 10.06.2019 को कराया जा चुका है। अतः प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी की पत्थरगढी कराया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रामगढ़ को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी के आराज़ी हाल ख0 नं0 521, 1108, 1206 किता 3 रकबा 1.11 हैक्ट0 वाके ग्राम बहाला की पत्थरगढी पडौसी काश्तकारों को नोटिस देकर एवं राजस्व अधिकारी व पटवारीगणों की गठित टीम के साथ मौके पर पत्थरगढी कराना 15 दिवस में सुनिश्चित करे। तहसीलदार रामगढ को अहकाम जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 16.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16.08.19

(महेश चन्द मान)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)